न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व विविध प्रकरण सं. Gems No. 2022/37
दायरा तिथि : 14.02.2022
आदेश दिनांक: 21-09-2022

प्रार्थीया:–
श्रीमति पेपीबाई पुत्री मगनाजी (धर्मपत्नि गोकसिंहजी) जाति रावणा राजपुत
निवासी बिसलपुर हाल निवासी फालनागांव तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति:–
1. श्री अमृत परिहार ..... अभिभाषक प्रार्थीया की ओर से
2. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार..... पैरोकार सरकार

–:: आदेश ::– दिनांक : 21-09-2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर ग्राम बिसलपुर में स्थित कृषि भूमि गत् 680 मी. से बने हाल खसरा नंबर 2206/2407 रकबा 1.54 हैक्टर एवं खसरा नंबर 2207 रकबा 3.11 हैक्टर कुल रकबा 4.66 हैक्टर की इन्द्राज दुरस्ती के माध्यम से खातेदारी दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया द्वारा इसका आधार यह बताया कि भू0 आवंटन/नियमन कमेटी द्वारा दिनांक 20.06.1978 को ग्राम बिसलपुर के गत् खसरा नंबर 680 मी. में 28 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय भूमि नियमन की गई थी। जिस नियमन आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 591 स्वीकृत किया जाकर प्रार्थीया को खातेदार दर्ज किया गया। नामान्तरकरण का अमल दरामद की कार्यवाही लंबित रहते भू0 प्रबन्ध कार्यवाही चलने से भू0बन्ध बाद के अधिकार अभिलेखों में प्रार्थीया को नियमन शुदा भूमि बिसलपुर के गत् खसरा नंबर 680 मी. रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय के भू0भाग से मौका स्थिति अनुसार बने बिसलपुर के हाल खसरा नंबर 2206/2407 रकबा 1.54 हैक्टर एवं खसरा नंबर 2207 रकबा 3.11 हैक्टर कुल रकबा 4.65 हैक्टर को राजकीय सिवायचक खाते में डालते हुये किस्म बारानी सोयम व गै.मु. भाखर त्रुटिपुर्ण रूप से दर्ज कर दिया। जबकि भू0प्रबन्ध कर्मचारियो/अधिकारियो का दायित्व था कि प्रार्थीया की नियमन शुदा भूमि जिसका नामान्तरकरण संख्या 591 स्वीकृत शुदा था, उस नामान्तरकरण का रेकर्ड में अमल दरामद करते हुये नया रेकर्ड संधारित करते, परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं करके भूमि को राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज किया। भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई उक्त कार्यवाही त्रुटिपुर्ण होने से धारा 136 के तहत उपखण्ड अधिकारी भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरस्त करने के लिये अधिकृत होने से नियमन शुदा भूमि का प्रार्थीया को दुरस्ती के माध्यम से खातेदार दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में प्रार्थीया द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य भू0 आवंटन/नियमन कमेटी के आदेश दिनांक 20.07.1978 की प्रति, नियमन आदेश की पालना में दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 591 की प्रति, गत् खसरा नंबर 680 मी. से हाल ख्सरा नंबर 2206/2407 रकबा 1.54 हैक्टर व हाल खसरा नंबर 2207 रकबा 3.11 हैक्टर बनने की पुष्टि में मिलान क्षैत्रफल की प्रति एवं बिसलपुर के हाल खसरा नंबर 2206/2407 रकबा 1.54 हैक्टर किस्म बारानी सोयम एवं हाल खसरा नंबर 2207 रकबा 3.11 हैक्टर किस्म गै.मु. भाखर हाल राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होने की पुष्टि में जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 की प्रति एवं खसरा परिवर्तनशील की प्रतियों पेश की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने भू0अ0 निरीक्षक बिसलपुर व पटवारी हल्का, बिसलपुर की जांच के अनुसार निम्नानुसार रिपोर्ट पेश की:–

1. यह है कि ग्राम बिसलपुर के गत् खसरा नंबर 680 मी. रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा भूमि आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 20.06.1978 को पेपीबाई पुत्री मगनाजी जाति रावणा राजपुत निवासी बिसलपुर को आवंटन की गई थी। जिसकी फोटो प्रति संलग्न है।
2. यह है कि पटवारी हल्का/ भू.अ. निरीक्षक वृत बिसलपुर की रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त खसरा नंबर 680 मी. रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा आवंटन शुदा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 591 दिनांक 21.12.1978 को राजस्व अभियान के दौरान् पेपीबाई पुत्री मगना के नाम स्वीकृत हुआ जिसकी फोटो प्रति संलग्न है।
3. यह है कि पटवारी हल्का/ भू.अ.नि. बिसलपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त स्वीकार शुदा नामान्तरकरण संख्या 591 का सैटलमेन्ट कार्य चलने के दौरान् सैटलमेन्ट विभाग द्वारा अमल दरामद नही किया गया था। जिसकी खतौनी संवत् 2027 से 2030 की फोटो प्रति संलग्न है।
4. यह है कि पटवारी हल्का / भू.अ.निरीक्षक वृत बिसलपुर की रिपोर्ट अनुसार आवंटन शुदा गत् खसरा नंबर 680 के नये खसरा नंबर 2207 रकबा 3.11 हैक्टर व खसरा नंबर 2206/2407 रकबा 1.54 हैक्टर किस्म बारानी सोयम व गै.मु. भाखर बने है जिस पर वर्तमान मे प्रार्थीया पेपीबाई पुत्री मगनाजी का ही कब्जा काश्त है।
5. यह है कि पटवारी हल्का/भू.अ.निरीक्षक वृत बिसलपुर की रिपोर्ट एवं मिलान क्षैत्रफल के अनुसार खसरा नंबर 680 के नये खसरा नंबर 2207 व 2206/2407 ही है।

पेज लगातार.....02

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण सं. Gems No. 2022/37
अनवान श्रीमति पेपीबाई बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

तहसीलदार, बाली ने अपनी जांच रिपोर्ट में ग्राम बिसलपुर के गत् खसरा नंबर 680 मे नियमनशुदा भूमि रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा से बने नये खसरा नंबर 2207 रकबा 3.11 हैक्टर किस्म गै.मु. भाखर व खसरा नंबर 2206/2407 रकबा 1.54 हैक्टर किस्म बारानी सोयम दुरस्ती के माध्यम से प्रार्थीया पेपीबाई पुत्री मगनाजी जाति रावणा राजपुत के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने की अनुशंषा की। उपस्थित वकुलाय को सुना गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि प्रार्थीया द्वारा उक्त इन्द्राज दुरस्ती के प्रार्थना पत्र के माध्यम से भू0 आवंटन/नियमन कमेटी द्वारा दिनांक 20.06.1978 को ग्राम बिसलपुर के गत् खसरा नंबर 680 मी. में नियमन की गई 28 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय की खातेदारी प्राप्ति के लिये नियमन के 44 वर्ष बाद उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया। जबकि इस 44 वर्ष की अवधि में राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान चलाये गये तथा इन्द्राज दुरस्ती के अभियान भी चलाये गये। परन्तु प्रार्थीया द्वारा इस दौरान् अपनी नियमन शुदा भूमि जिसका की नामान्तरकरण संख्या 591 भी दिनांक 21.12.1978 को स्वीकृत कर दिया गया था, का भू0प्रबन्ध वाद के लेखो में इन्द्राज नहीं होने के बावजुद प्रार्थीया द्वारा आदिनांक तक भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा की कार्यवाही को प्रश्नगत् नहीं किया गया। इसके साथ ही न्यायालय में उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से यह प्रमाणित हैं कि प्रार्थीया के सगे भाई रामसिंह पुत्र मगनसिंहजी के वारिश पुत्रो भैरूसिंह, हनवन्तसिंह, दलपतसिंह पिसरान् रामसिंहजी जाति रावणा राजपुत के द्वारा इसी भूमि के सबंध में एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत एक वाद इस न्यायालय में पेश किया गया। जो राजस्व वाद संख्या 66/2020 बअनवान् भैरूसिंह वगैरा बनाम तहसीलदार, बाली इस न्यायालय में दिनांक 01.12.2020 को पंजिवद्ध किया गया। जिस वाद को दिनांक 21.12.2021 को न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने के बाद प्रार्थीया द्वारा पुनः इसी भूमि बाबत् इन्द्राज दुरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खातेदारी दर्ज किये जाने की मांग की गई है। उक्त तमाम कार्यवाही इस तथ्य की पुष्टि करता है कि वादग्रस्त भूमि बाबत् प्रार्थीया के साथ उसके भाई रामसिंह के पुत्रगण भी अपना हक स्वत्व जताते है, जिनका घोषणात्मक वाद खारिज हो चुका है। इसके साथ ही विधिक प्रावधानो के तहत भू0 प्रबन्ध विभाग को मात्र भू0प्रबन्ध पुर्व के इन्द्राजो को ही दोहराना होता है। प्रार्थीया के उक्त प्रकरण में भू0प्रबन्ध पुर्व के अधिकार अभिलेखो रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में नाम दर्ज नहीं है। इसके साथ ही यह भी स्वीकार्य तथ्य हैं कि भू0प्रबन्ध विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौके की स्थिति के अनुसार ही रिकार्ड में इन्द्राज करते है, हो सकता है, भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् प्रार्थीया का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं हो। हस्तगत् प्रकरण में स्वीकार्य तथ्य हैं कि प्रार्थीया को नियमन की गई भूमि का नामान्तरकरण तो भरा गया, लेकिन अधिकार अभिलेखों में इसका इन्द्राज नहीं किया गया। नामान्तरकरण एक Fiscal Proceedings है, जिसके आधार पर कोई हक अधिकार तय नहीं होते है। नियमन के 44 वर्ष बाद बिना किसी साक्ष्य सबूत के Summary Proceeding के द्वारा दुरस्ती के माध्यम से खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना न्याय संगत नहीं है। तथा साथ ही पुर्व निर्णित राजस्व वाद संख्या 66/2020 के अनुसार वादग्रस्त भूमि बाबत् प्रार्थीया के साथ साथ प्रार्थीया के भाई रामसिंह के पुत्रगण भैरूसिंह वगैरा भी अपने हक स्वत्व का दावा करते है। ऐसी स्थिति में जब किसी एक ही भूमि के सबंध में अलग–अलग व्यक्ति अपना हक स्वत्व जताते है, तो ऐसे प्रकरणो में बिना घोषणात्मक वाद के किसी पक्ष को चाहा गया अनुतोष प्रदान नहीं किया सकता। प्रार्थीया को चाहिये था कि दिनांक 20.06.1978 को नियमन शुदा भूमि की खातेदारी आदिनांक तक क्यों नहीं मिली, इसका स्पष्ट वर्णन करते हुये संपुर्ण दस्तावेजी साक्ष्यो एवं इन वर्षो में भूमि पर कब्जे बाबत् विधि मान्य अधिकृत दस्तावेज खसरा परिवर्तनशील की प्रतियो सहित घोषणात्मक वाद के द्वारा अपना अनुतोष प्राप्त करने की कार्यवाही करती। परन्तु प्रार्थीया द्वारा ऐसा नहीं करते हुये मात्र दुरूस्ती के प्रार्थना पत्र के माध्यम से 44 वर्ष पहले नियमन की गई भूमि की खातेदारी का आवेदन किया। दुरस्ती के प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थीया को दिनांक 20.06.1978 को ग्राम बिसलपुर के गत् खसरा नंबर 680 मी. में नियमन की गई भूमि 28 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय की खातेदारी दी जाना न्याय संगत नहीं है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थीया द्वारा दिनांक 20.06.1978 को ग्राम बिसलपुर के गत् खसरा नंबर 680 मी. में नियमन शुदा भूमि 28 बीघा 15 बिस्वा से भू0 प्रबन्ध बाद बने हाल खसरा नंबर 2207 रकबा 3.11 हैक्टर किस्म गै.मु. भाखर व खसरा नंबर 2206/2407 रकबा 1.54 हैक्टर किस्म बारानी सोयम बाबत् प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुधीर उपखण्ड अधिकारी)
आई.ए.एस.
बाली, जिला-पाली (राज.)
भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

आदेश आज दिनांक 21-09-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन
बाली, जिला... उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner